भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4013 जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

विशेष अभियोजक

4013. श्री लाबू श्रीकृष्ण देवरायालू:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विशेष रूप से पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 के तहत मामलों या बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किए गए अभियोजकों की संख्या कितनी है;
- (ख) बलात्कार के मामलों या पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 के तहत मामलों में न्यायाधीशों की जवाबदेही का पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया है जहां मामलों के समय-सीमा के तहत निपटान के लिए प्रावधान है; और
- (ग) उन दोषसिद्ध लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें बाल बलात्कार के लिए मौत की सजा दी गई है और उनकी अब तक की स्थिति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क), (ख) और (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।
